(204)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.18(13)नविवि/जयपुर/2016 जयपुर, दिनांक 18 OCT 2017

आदेश

जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास समस्त एवं राज्य के समस्त नगरीय निकायों में भवन विनियमों की एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से, "एकीकृत भवन विनियम-2017" तैयार किये जाकर सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास समस्त एवं राज्य के समस्त स्थानीय निकायों हेतु दिनांक 18.10.2017 को अधिसूचित किये गये हैं। यदि आवश्यक हो तो संबंधित नगरीय निकायों के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अपने स्तर पर विशिष्ठ प्रावधान निर्धारित किये जा सकते हैं :-

1. विनियम 5.2 के अनुसार एस-2 क्षेत्र अर्थात चार दिवारी क्षेत्र यदि कोई हो तो चिन्हित करते हुये कार्यवाही की जा सकती है।
2. विनियम 5.3 (1) के अनुसार परम्परागत रूप से गैर योजनागत विकसित सघन आबादी क्षेत्र, कच्ची बस्ती क्षेत्र को चिन्हित करते हुये कार्यवाही की जा सकती है।
3. विनियम 8.4 विशिष्ठ क्षेत्रों यथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों व निषेध क्षेत्रों, पुरातात्विक महत्व के संरक्षित स्थलों आदि की पहचान कर विशेष प्रावधान किये जा सकते हैं।
4. विनियम 8.5 के अनुसार विशिष्ठ सड़कों का निर्धारण कर, विशिष्ठ मानदण्ड निर्धारित किये जा सकते हैं।

एकीकृत भवन विनियम-2017 की सॉफ्ट कॉपी विभागीय वेबसाईट (www.udh.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है, जहाँ से इसे डाउनलोड किया जाकर उक्त विनियमों के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावे।

18/10/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम